न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 09.07.2024

प्रकरण संख्या 06/24

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–राजेश पत्नि रमेशचन्द उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1–दीवानसिंह पुत्र बद्रीलाल जाति अहीर निवासी अजरोंडा हाल भारतीय स्टेट बैंक बाली गली बाले रास्ते पर केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2–इन्द्राबाई पत्नि रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी अजरोंडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक– 12.06.2025

उपस्थित

प्रार्थीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

अप्रार्थीगण की ओर से – श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी ख0नं0 65/582 रकबा 15.00 बीघा ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद पर आने जाने के लिये 12 फिट चौडा रास्ता अप्रार्थीकम के कब्जा काश्त अनुसार अप्रार्थीकम 1 की खातेशुदा भूमि ख0नं0 67 की पूर्वी मेढ के सहारे तथा ख0नं0 67/1 रकबा 8.00 बीघा व ख0नं0 72 रकबा 1.05 बीघा सिवायचक ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद की पश्चिमी मेढ के सहारे दिलाये जाने बावत प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहावाद से मौके की रिपोर्ट मंगाई गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेशुदा आराजी ख0नं0 65/582 रकबा 15.00 बीघा पर आने जाने के लिये अप्रार्थीकम 1 दीवानसिंह के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ख0नं0 67/1 रकबा 8.00 बीघा व अप्रार्थीकम 2 इन्द्राबाई की खातेशुदा आराजी ख0नं0 66 रकबा 5.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थी तथा अप्रार्थी वकील ने उपस्थित होकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई। में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी ख0नं0 65/582 पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आराजी के सबसे नजदीक तथा आवश्यक है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीकम 1 की खातेशुदा भूमि ख0नं0 67/1 रकबा 8.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के लगवां 4X144 कुल 576 वर्गमीटर भूमि तथा अप्रार्थीकम 2 की खातेशुदा भूमि ख0नं0 66 रकबा 5.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

12.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

बीघा में से पूर्वी मेढ के लगवां 4X76 कुल 304 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

धारा 251–A में वर्णित प्रावधान अनुसार किसी अभिधारी या अभिधारियों के किसी समूह को अपनी जोत या, यथास्थित, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग प्राप्त करने के लिये आवेदक को निम्न दो तथ्यों को साबित करना आवश्यक है –

(1) वांछित मार्ग केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है।

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।

उक्त दोनो बिन्दुओं को प्रार्थीगण प्रमाणित करने में सफल रहे हैं।

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा 251ए राज0 काश्त0 अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद स्थित आराजी ख0नं0 65/582 रकबा 15.00 बीघा पर आने जाने के लिये अप्रार्थीक्रम 1 व 2 की खातेशुदा आराजी क्रमशः ख0नं0 67/1 रकबा 8.00 बीघा व ख0नं0 66 रकबा 5.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे 12 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जाता है। तहसीलदार शाहावाद अप्रार्थीक्रम 1 की खातेशुदा आराजी ख0नं0 67/1 रकबा 8.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे चौडाई 4 मीटर X लम्बाई 144 मीटर कुल 576 वर्गमीटर तथा अप्रार्थीक्रम 2 की खातेशुदा आराजी ख0नं0 66 रकबा 5.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे चौडाई 4 मीटर X लम्बाई 76 मीटर कुल 304 वर्गमीटर भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार गणना कर दोगुनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर बतौर प्रतिकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा की जावे तथा बाद अदायगी प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार आराजी ख0नं0 67/1 रकबा 8.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के लगवां चौडाई 4 मीटर X लम्बाई 144 मीटर कुल 576 वर्गमीटर व ख0नं0 66 रकबा 5.00 बीघा में से पूर्वी मेढ के सहारे चौडाई 4 मीटर X लम्बाई 76 मीटर कुल 304 वर्गमीटर भूमि को राजस्व अभिलेख में "रास्ता" के रूप में दर्ज करें। रास्ता के रूप में प्रदत्त उक्त भूमि पर प्रार्थी आने जाने के अलावा अन्य कोई हक अधिकार अर्जित नहीं कर सकेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested